



बिहार सरकार

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना

हिन्दी ग्रंथ अकादमी परिषद्, प्रेमबन्द पथ, सैदपुर, राजेन्द्रनगर, पटना-800016
email- deopatna.edn@gmail.com



शिक्षा विभाग

पत्रांक 8260

प्रेषक,

डा० मो० जमाल मुस्तफा
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(स्थापना), पटना।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
सभी विद्यालय अवर निरीक्षक
सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/सभी प्रधान शिक्षक
उच्च विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय
जिला-पटना।

पटना, दिनांक 01.08.2025

विषय:-

विद्यालय अध्यापक/विशिष्ट शिक्षक/प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक को शिशु देख-भाल की स्वीकृति से संबंधित मार्गनिर्देश देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि विगत वर्षों में सरकारी विद्यालयों में बहुत अधिक संख्या में महिला शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिनमें से अधिकांश परिवीक्षा अवधि में है। बावजूद जिला कार्यालय को लगातार शिशु देख-भाल अवकाश हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और दूरभाष पर भी लगातार विधिवत अपकाश स्वीकृत हेतु एवं अनुशंसा किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। बिहार सेवा संहिता के नियम-220A में अंकित है कि यह अवकाश विशेष परिस्थिति में देय है। अवकाश स्वीकृत/अनुशंसा किए जाने से पूर्व इसकी भी समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि अवकाश की अवधि में पठन-पाठन कार्यों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े साथ ही यह स्वीकृति अधिकार-स्वरूप नहीं बल्कि मानवीय आधार पर विशेष परिस्थिति में देय है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय एवं छात्र हित के आलोक कभी भी रद्द किया जा सकता है। तदालोक विशेष परिस्थिति में उक्त अवकाश की अनुशंसा किये जाने हेतु निम्न शर्त निर्धारित की गई है:-

1. यह अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम-220A अंतर्गत अव्यस्क (18 वर्ष से कम) संतान वाली महिला शिक्षिका/कर्मों को केवल दो संतान तक उनकी परीक्षा, बिमारी की दशा में पालन-पोषण या देख-भाल के लिए देय होगा।
2. यह अवकाश संधारणतः परीक्षा अवधि के दौरान नहीं की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में प्रमाणित साक्ष्य के उपलब्धता एवं मानवीय आधार पर दी जायेगी।
3. इस अवकाश हेतु आवेदन के साथ चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र/बच्चे का पहचान/संस्थान प्रधान की अनुशंसा एवं सेवा विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. इस अवकाश की अनुशंसा के पूर्व विद्यालय प्रधान एवं संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी उक्त विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, एवं विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्ग कक्ष के संचालन एवं परीक्षा संबंधित कार्य पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
5. यह अवधि संबंधित शिक्षक/कर्मों के सेवा अवधि में 730 दिवस की निर्धारित सीमा के अंतर्गत समाहित मानी जायेगी, जिसका संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा।
6. यह अवकाश छुट्टी-लेखे में विकलित नहीं की जायेगी।
7. यह अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में तीन माह के लिए मंजूर किया जायेगा एवं तीन बार से ज्यादा विस्तारित नहीं किया जायेगा।
8. इस अवकाश का दावा अधिकारपूर्वक नहीं किया जायेगा।

अतः आप सभी अक्षरशः अनुपालन करते हुए समीक्षोपरान्त अनुशंसा सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

01.08.25

डा० मो० जमाल मुस्तफा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(स्थापना), पटना।

01.08.25